न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही (राज.)

पीठासीन अधिकारी	–	**अलका जोशी, आर.जे.एस.**
नियमित दाण्डिक प्र. सं.	–	542/2018 रे.फौ.
सीआईएस नं.	–	542/2018
एफ.आई.आर. नं.	–	338/2015, पुलिस थाना सिरोही

राजस्थान राज्य ।

– अभियोगी –

बनाम

01. सद्दाम हुसैन पुत्र फारूख खां निवासी सम्पूर्णानंद कॉलोनी, सिरोही।
02. लाला उर्फ फकीर मोहम्मद पुत्र यासीन खां निवासी सम्पूर्णानंद कॉलोनी, सिरोही।
03. तारीक पुत्र ऐमु उर्फ अहमद खां निवासी सम्पूर्णानंद कॉलोनी, सिरोही।
04. इमरान पुत्र ऐमु उर्फ अहमद खां निवासी सम्पूर्णानंद कॉलोनी, सिरोही।
05. ईस्माईल पुत्र गुलाम निवासी माण्डवा, सिरोही।
06. इरशाद पुत्र मोहम्मद फारूख निवासी सम्पूर्णानंद कॉलोनी, सिरोही।
07. मोहम्मद हनीफ पुत्र महबुब अली निवासी सिरोही।
08. शाहरूख पुत्र मोहम्मद उमर फारूख निवासी सम्पूर्णानंद कॉलोनी, सिरोही।
09. इरफान पुत्र ऐमु उर्फ अहमद खां निवासी सम्पूर्णानंद कॉलोनी, सिरोही।

– अभियुक्तगण –

अपराध अंतर्गत धारा 147, 451, 323, 427, 379 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित:–

1– अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2– श्री भगवत सिंह देवडा, अधिवक्ता अभियुक्तगण संख्या 01, 06 व 08 की ओर से।
3– श्री फिरोज पठान, अधिवक्ता अभियुक्तगण संख्या 02 से 05, 07 व 09 की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक–04.07.2026

01. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सैय्यद आरिफ अली द्वारा दिनांक 22.12.2016 को उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 इस आशय की पेश की गई कि सम्पूर्णानंद कॉलोनी सिरोही में उसकी राज एग्रो एजेंसीस के नाम से एक दुकान आयी हुई है। दिनांक 22.12.2016 को तकरीबन 01:20 पीएम पी उसकी दुकान पर रंगरेज फैमिली के मो. हनीफ, इरशाद, सद्दाम, शोकिन, तारीक, इरफान, इमरान, इस्माईल एवं यासीन टेलर का सबसे छोटा पुत्र व अन्य जिनको वह नाम से नहीं जानता करीब 10–15 लोग दुकान पर आये तथा उसे जान से मारने की कोशिश की तथा उक्त लोग दुकान पर भी लूटपाट करके गये, पहले उन्होंने उसकी दुकान का सीसीटीवी कैमरा तोड़ा और उसे हाकी और लेकड़ी से बहुत मारा तथा सीसीटीवी का डीवीआर और हार्डडिस्क भी लेके गये.....इत्यादि।

02. उक्त रिपार्ट के आधार पर पुलिस थाना सिरोही में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 338/2016 दर्ज कर अनुसंधान अपराध अंतर्गत धारा 143, 451, 323, 427, 379 भारतीय दण्ड संहिता में प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण सद्दाम हुसैन, लाला उर्फ फकीर मोहम्मद, तारीक, इमरान, के विरुद्ध धारा 147, 451, 323, 427 भारतीय दण्ड संहिता में एवं शेष अभियुक्त इरफान के विरुद्ध धारा 147, 451, 323, 427, 379 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जिस पर अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. अभियुक्तगण सद्दाम हुसैन, लाला उर्फ फकीर मोहम्मद, तारीक, इमरान, ईस्माईल, इरशाद, मोहम्मद हनीफ व शाहरूख को अपराध अंतर्गत धारा 147, 451, 323, 427 भारतीय दण्ड संहिता का एवं शेष अभियुक्त इरफान को अपराध अंतर्गत धारा 147, 451, 323, 427, 379 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो उनके द्वारा आरोप से इंकार कर अंवीक्षा चाही।

04. दिनांक 16.04.2026 को परिवादी/मजरूब सैय्यद आरिफ अली ने मुलजिमान इमरान, इरफान, तारीक, हनीफ, सद्दाम, इरशाद, शाहरूख, ईस्माईल व फकीर से धारा 451, 323, 427 व 379 भा.द.सं. में राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया।

05. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नांकित गवाहों को परीक्षित करवाया गया:–

क्र.सं.	**गवाह का नाम**	**पी.डब्ल्यू.**
01	शाकिर अली	पी.डब्ल्यू.01
02	सैय्यद आरिफ अली	पी.डब्ल्यू.02

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नांकित प्रलेख प्रदर्शित करवाए गए:-

अंकित प्रदर्श	**प्रलेख की प्रकृति**
प्रदर्श पी.01	पुलिस बयान शाकिर अली
पुनः प्रदर्श पी.01	रिपोर्ट
प्रदर्श पी.02	फर्द नक्शा मौका
प्रदर्श पी.03	पुलिस बयान सैय्यद आरिफ अली
प्रदर्श पी.04	चोट प्रतिवेदन सैय्यद आरिफ अली
प्रदर्श पी.05	कवर नोट

प्रदर्श पी.06	एक्स–रे प्लेट
प्रदर्श पी.07	सीसीटीवी कैमरों का बिल
प्रदर्श पी.08	राजीनामा

06. अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में परीक्षित किया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया व साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गयी।

07. बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि परिवादी/मजरूब ने मुलजिमान से धारा 451, 323, 427 व 379 भादसं. में राजीनामा पेश कर तस्दीक करवा दिया है। अतः मुलजिमान के विरुद्ध शेष आरोपित अपराध धारा 147 भादसं. के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न अवधार्य बिन्दू हैः–

1) **''क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 22.12.2016 को समय करीब 01:20 पीएम पर मौजा सिरोही स्थित परिवादी सैय्यद आरिफ अली के दुकान में अपराध कारित करने के आशय से विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर बल तथा हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया ? ''**

2) **यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड के भागीदार हैं?**

08. इस प्रकार पत्रावली में आई उपरोक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के अवलोकन के पश्चात् यह प्रकट है कि परिवादी/मजरूब सैय्यद आरिफ अली ने मुलजिमान इमरान, इरफान, तारीक, हनीफ, सद्दाम, इरशाद, शाहरूख, ईस्माईल व फकीर के साथ दिनांक 16.04.2026 को अपराध अंतर्गत धारा 451, 323, 427 व 379 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा पेश कर तस्दीक करा दिया है।

अब मुलजिमान सद्दाम हुसैन, लाला उर्फ फकीर मोहम्मद, तारीक, इमरान व इरफान पर शेष आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता बाबत साक्ष्य का अवलोकन करें तो परिवादी/मजरूब **सैय्यद आरिफ अली पी.ड.02** पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जो अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं करता है। गवाह ने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ यह कथन किया है कि कितने वर्ष पूर्व की बात है उसे याद नहीं। उसके साथ किसी ने कोई मारपीट नहीं की, न ही उसकी दुकान में कोई तोडफोड हुई। अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर **जिरह** के दौरान गवाह ने यह कथन किये कि यह सही है कि दिनांक 22.12.2015 को उसने कोतवाली सिरोही में एक एफआईआर उसके साथ मारपीट व उसकी दुकान में तोडफोड बाबत दी थी जो पुनः प्रदर्श पी.01 है अजखुद कहा कि रिपोर्ट किसने लिखी उसे इस बात की जानकारी नहीं है। रिपोर्ट उसने लोगों के बहकावे में आकर दी थी। पुनः प्रदर्श पी.01 का सी से डी भाग गवाह को पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने जाहिर किया कि सी से डी भाग में लिखित कथनों की उसे जानकारी नहीं है। अजखुद कहा कि रिपोर्ट उसकी कलमी नहीं है। यह सही है कि उसने घटना का नक्शा मौका प्रदर्श पी.02 पुलिस को बताया था, अजखुद कहा कि नक्शा मौका उसने लोगों के बहकावे में आकर बताया था। यह सही है कि उसके पुलिस बयान हुए थे, पुलिस बयान प्रदर्श पी.03 का

ए से बी भाग गवाह को पढ़कर सुनाया तो गवाह ने जाहिर किया कि यह कथन उसके द्वारा नहीं किये गये। यह सही है कि दिनांक 22.12.2015 को उसने अपनी चोटों की डॉक्टरी करवायी जो प्रदर्श पी.04 है तथा उसने अपनी चोटों का एक्सरे जिसका कवर नोट प्रदर्श पी.05 व एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी.06 करवाया था, अजखुद कहा कि चोटें उसे गिरने से कारित हुई थी न की मारपीट से। यह गलत है कि दिनांक 22.12.2015 को मुल्जिमान सद्दाम हुसैन, इरफान, लाला उर्फ फकीर मोहम्मद, तारिक, इमरान, इरशाद, शाहरूख ने उसके साथ मारपीट की हो। यह सही है कि मुल्जिमान के साथ उसका न्यायालय में राजीनामा हो गया है जो राजीनामा प्रदर्श पी.08 है। **जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्तगण में** यह कथन किये कि यह सही है कि उनका राजीनामा हो गया है। अतः वह कार्यवाही आगे नहीं चलाना चाहता।

इस प्रकार प्रकरण में गवाह परिवादी/मजरूब सैय्यद आरिफ अली स्वयं पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने अभियोजन कहानी का खण्डन करते हुए दिनांक 22.12.2015 को मुल्जिमान द्वारा उसके साथ मारपीट करने के कथनों से इंकार किया है। अतः इस गवाह के बयानों से भी अभियोजन कहानी को सहायता प्राप्त नहीं होती।''

प्रकरण का चश्मदीद गवाह **शाकिर अली पी.डब्ल्यू.01** के रूप में परीक्षित होकर पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने अपने न्यायालय बयानों में यह कथन किये हैं कि दिनांक 22.12.2015 की बात है, उस रोज वह गोयली सर्किल सिरोही के आसपास था, उसके पास उसके भाई के दुकान पर लगे नौकर नीबाराम का फोन आया कि तुम्हारे भाई सैय्यद आरिफ अली के साथ 10–12 लडके मारपीट कर रहे तुम बचाने आ जाओ, तब वह अपने भाई की दुकान पर गया। वह जो लडके थे उनको नाम से व शकल से नहीं जानता। वो सारे लडके मुस्लिम रंगरेज परिवार के थे। उन्होने उसके भाई के साथ मारपीट की। उन लडकों ने काउन्टर के कांच तोडे व सीसीटीवी कैमरे की हार्डडिस्क लेकर चले गये। उसने उसके भाई के दुकान के गल्ले के अंदर से किसी को रुपये ले जाते नहीं देखा। **जिरह द्वारा अभियोजन अधिकारी में** गवाह का कथन रहा कि पुलिस बयान प्रदर्श पी.01 का ए से बी भाग गवाह ने लिखाये जाने से इनकार किया। यह कहना गलत है कि मोहम्मद हनीफ व ईस्माईल द्वारा उसके भाई के साथ मारपीट करते देखा हो। यह गलत है कि उसने मोहम्मद हनीफ, इरशाद व इरफान को गल्ला तोडकर 45,000/–रूपये निकालते हुए देखा हो। **जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में** गवाह का कथन रहा कि यह सही है कि उसने झगडा होते हुए नहीं देखा अजखुद कहा कि वहां से जाते हुए देखा। यह सही है कि पुलिस बयान प्रदर्श पी.01 में मुल्जिमान द्वारा उसके भाई के साथ लातो–घुसों से मारपीट की बात लिखी है वह गलत लिखी हुई है। यह सही है कि वह जब मौके पर पहुंचा तब उसका भाई घायल अवस्था में था। यह सही है कि उसके सामने मुल्जिमान ने सीसीटीवी हार्डडिस्क, डीडीआर वगैरह तोडते नहीं देखा अजखुद कहा कि उसने मुल्जिमान को ले जाते हुए देखा था। घटना घटित होने के पांच मिनट के बाद वह पहुंचा था। मारपीट करने वाले मुल्जिमान के नाम उसे उसके भाई ने बताये थे।

इस प्रकार प्रकरण का चश्मदीद साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी.01 का ए से बी भाग गलत होना बताया है तथा वक्त घटना मौके पर मौजूद न होकर मुल्जिमान के नाम उसके भाई द्वारा बताये जाने का कथन किया है। अतः इस गवाह के बयानों से भी अभियोजन कहानी को सहायता प्राप्त नहीं होती। स्वयं परिवादी व मजरूब साक्षी की साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण विधि–विरुद्ध जमाव का गठन

कर मौके पर मौजूद हों तथा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उनके द्वारा परिवादी/मजरूब से मारपीट कारित की हो।

09. पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से जाहिर है कि हस्तगत प्रकरण में परिवादी/मजरूब व मुलजिमान का अपराध अंतर्गत धारा 451, 323, 427 व 379 भादसं. में राजीनामा हो गया है। प्रकरण के परिवादी/मजरूब सैय्यद आरिफ अली पी.ड.02 पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अपने न्यायालय बयानों में यह जाहिर किया है कि **उसके साथ किसी ने कोई मारपीट नहीं की, न ही उसकी दुकान में कोई तोडफोड हुई।** इसके अतिरिक्त अभियोजन का अन्य गवाह चश्मदीद साक्षी शाकिर अली पी.ड.01 भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने अपने न्यायालय बयानों में यह जाहिर किया है कि **उसने मुलजिमान द्वारा उसके भाई के साथ मारपीट करने तथा 45,000/–रुपये लूटकर ले जाने के कथनों से अपने न्यायालय बयानों में स्पष्ट इनकार किया है।**

ऐसी स्थिति में पत्रावली पर अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध शेष अरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 147 भा.द.सं. को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

अतः अभियुक्तगण को शेष आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 147 भा.द.सं. में संदेह के आधार पर व साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

(अलका जोशी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिरोही

आदेश

10. अतः अभियुक्तगण 01. सद्दाम हुसैन पुत्र फारूख खां निवासी सम्पूर्णानंद कॉलोनी, सिरोही, 02. लाला उर्फ फकीर मोहम्मद पुत्र यासीन खां निवासी सम्पूर्णानंद कॉलोनी, सिरोही, 03. तारीक पुत्र ऐमु उर्फ अहमद खां निवासी सम्पूर्णानंद कॉलोनी, सिरोही, 04. इमरान पुत्र ऐमु उर्फ अहमद खां निवासी सम्पूर्णानंद कॉलोनी, सिरोही, 05. ईस्माईल पुत्र गुलाम निवासी माण्डवा, सिरोही, 06. इरशाद पुत्र मोहम्मद फारूख निवासी सम्पूर्णानंद कॉलोनी, सिरोही, 07. मोहम्मद हनीफ पुत्र महबुब अली निवासी सिरोही, 08. शाहरूख पुत्र मोहम्मद उमर फारूख निवासी सम्पूर्णानंद कॉलोनी, सिरोही एवं 09. इरफान पुत्र ऐमु उर्फ अहमद खां निवासी सम्पूर्णानंद कॉलोनी, सिरोही को अपराध अंतर्गत धारा 451, 323, 427 व 379 भारतीय दण्ड संहिता में बरूए राजीनामा तथा अभियुक्तगण पर शेष आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह के आधार पर व साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्तगण के पूर्व के उपस्थिति बाबत प्रस्तुत प्रतिभू व बंधपत्र दायित्वमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण द.प्र.सं धारा 437–ए के प्रावधानों के अनुरूप दस–दस हजार रुपये की जमानत–मुचलके इस न्यायालय में पेश कर तस्दीक करावें।

(अलका जोशी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिरोही

11. निर्णय आज दिनांक 04.07.2026 को मेरे द्वारा विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रांकन के सुनाया गया।

(अलका जोशी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिरोही